(67)

महात्मा गांधी नरेगा अति—आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3 नरेगा,महात्मा गांधी नरेगा)

एफ 60(12) ग्रावि/नरेगा/शिका./वॉल पे./2011–12 जयपुर, दिनांक ... MAY 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय : **जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायतों की सहज दृष्ट्या दीवारों पर महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में श्रम व सामग्री मद पर व्यय संबंधित सूचना की वॉल पेन्टिंग करवाने बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामवार सार्वजनिक भवनों/स्थानों की सहज दृष्ट्या दीवारों पर महात्मा गांधी नरेगा योजनान्र्तत वित्तीय वर्ष 2013–14 में करवाये गये कार्यो पर श्रम मद में व्यय हुये व्यय को मदवार निर्धारित प्रपत्र में वॉल पेन्टिग करवानी है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 को समाप्त हुये 1 माह का समय हो गया है। अतः इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि गत वित्तीय वर्षो की तरह ही श्रम मद की वॉल पेन्टिंग का कार्य करवाकर, सूचना इस विभाग को भिजवानें का श्रम करें। वॉल पेन्टिग का कार्य करवाते समय निम्न बिन्दुओं का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावें :–

1. वॉल पेन्टिंग ग्राम पंचायत में ग्रामवार करवाई जावें, जिसमें प्रत्येक ग्राम के नरेगा श्रमिकों का उल्लेख हो।
2. इस विभाग द्वारा दीवार लेखन के संबंध में समय समय पर निर्देश दिये गये है कि मनरेगा योजना में दीवार लेखन का कार्य इस प्रकार किया जावे कि प्रारंभ के कॉलम जैसे क्र.स., परिवार के मुखिया/सदस्य का नाम, जॉबकार्ड संख्या, वर्षवार व्यय 2011–12 के व्यय के आगे ही वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 आदि का दीवार लेखांकन किया जावें। वर्ष 2013–14 के दीवार लेखन के पश्चात आगामी वर्ष के दीवार लेखन के लिए वर्ष 2011–12, 2012–13 के कॉलम को पेन्ट कराकर उन्हे काम में लिया जाना चाहिए। एक बार कराई गई पेन्टिंग का कम से कम 3 वर्ष के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। यदि 3 वर्ष से पूर्व पेन्टिंग का कार्य खराब हो जाता है तो इसके लिए जिला स्तर के अधिकारी को शामिल करते हुए कमेटी बनाकर समीक्षा किया जाना आवश्यक है।
3. प्रथम वर्ष में दीवार लेखन के लिए पेन्ट कराये जाने के पश्चात आगामी वर्षो के लिए उपलब्ध कॉलम में मार्कर पेन आदि की सहायता से प्रविष्टियां कराई जा सकती है।
4. मनरेगा योजना में कार्य करने वाले श्रमिकों के जॉबकार्ड को क्रमवार लिखा जाना चाहिए। भविष्य में नये श्रमिक जुडने पर उनके जॉबकार्ड को अलग दीवार पर क्रमवार लिखा जाना चाहिए।

5. कई जिलों में जिला स्तर से प्रति वर्ग फीट के हिसाब से दीवार लेखन की दरों का निर्धारण कर दिया जाता है लेकिन पंचायत समितियों द्वारा ध्यान नही दिये जाने की वजह से ठेकेदार द्वारा बडे बडे अक्षरों में अधिकाधिक स्थान का उपयोग करते हुए दीवार लेखन कर दिया जाता है, जिससे अनावश्यक रूप से सरकार पर अधिक दायित्व की स्थिति हो जाती है। अतः दीवार लेखन के समय अनावश्यक व्यय नही किया जाना सुनिश्चित करावें।
6. गत दिनों में प्रशासनिक व्ययों की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय टीम द्वारा जिला जालौर एवं जिला स्तरीय टीम द्वारा अलवर जिले की जांच में दीवार लेखन के कार्यो में गंभीर अनियमितताऐं एवं लापरवाही की शिकायतें प्रकट हुई है। अतः आपके जिले में दीवार लेखन का कार्य पूर्ण मितव्ययता के साथ किया जाना आवश्यक है।
7. परिवारों को उपलब्ध करवाये गये रोजगार दिवस एवं राशि का आधार ग्रामवार रोजगार रजिस्टर को (रजिस्टर संख्या 7) बनाया जावें।
8. यह सुनिश्चित किया जावें कि वॉल पेन्टिंग करवाने से पूर्व उक्त रजिस्टर को पूर्ण करवाकर, सरपंच, ग्रुप सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक के हस्ताक्षर रजिस्टर पर करवा लिये गये है।
9. श्रम भुगतान के दीवार लेखन के लिए संलग्न प्रारूप **(परिशिष्ट–1)** में दीवार लेखन कराया जाना अपेक्षित है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर मनरेगा योजना में श्रम भुगतान का दीवार लेखन का कार्य दिनांक 31.07.2014 तक करवाकर, सूचना इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान। को लेख है कि सामग्री, के निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।
2. परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
3. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद समस्त राजस्थान।
4. विकास एवं कार्यकम अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

परिशिष्ट–1

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रम भुगतान का विवरण

ग्राम................................ग्राम पंचायत..................................में निम्न परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया गया।

क्र.सं.	परिवार के श्रमिक का नाम	पिता/पति का नाम	जॉब कार्ड सं. (अन्तिम 4 अक्षर)	वर्ष 2013–14 में भुगतान		वर्ष 2014–15 में भुगतान		वर्ष 2015–16 में भुगतान	
				दिवस	राशि	दिवस	राशि	दिवस	राशि

ग्राम सेवक/सचिव

नोटः– वर्ष 2015–16 तक की प्रविष्टि हो जाने पर वर्ष 2013–14 के कॉलम पर पेन्ट करवाकर उसमें वर्ष 2016–17 का व्यय लिखाया जा सकता हैं। जॉबकार्ड को कमवार लिखा जाना चाहिये। भविष्य में नये जॉबकार्ड जुडने पर उसे अलग दीवार पर लिखाया जा सकता हैं।